संख्या–1397 / XVI / 05 / 5(128) / 2004 / 26(1) / 2000

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरांचल
उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 देहरादून: दिनांक,17 दिसम्बर 2005

विषय:–बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत माल्टा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–625 / उ0त0 / म0व0फ0 / 2005–06 / दि0 20,अक्टूबर 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तरांचल के माल्टा उत्पादक क्षेत्रों / चयनित जनपदों के कृषकों / उद्यानपतियों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदत्त किये जाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग,भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप बाजार हस्तक्षेप योजना को उत्तरांचल राज्य में क्रियान्वित किये जाने तथा इस निमित्त होने वाले व्यय / क्षति की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत सेब क्रय हेतु अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागबानी और सब्जियों की फसलें–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0113–बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन(राज्यांश)–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता मद में शासनादेश संख्या–1120 / XVI / 05 / 5(134) / 2005,दिनांक–09,सितम्बर 2005 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई बजट व्यवस्था के अवशेष बचतों से नियमानुसार किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सी ग्रेड के माल्टा फलों का समर्थन मूल्य रूपया 4.00(रूपया चार मात्र) प्रति कि0ग्रा0 निर्धारित किया जाता है।

3– कुमांयू मण्डल के चयनित जनपदों से फलों का क्रय / विक्रय क्रमशः कुमांयू मण्डल विकास निगम एवं फ्रूट फैडरेशन हल्द्वानी तथा गढवाल मण्डल के चयनित जनपदों से फलों का क्रय / विक्रय गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

4– फलों के उपार्जन हेतु तीनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों में निम्न स्थानों पर क्रय / संग्रह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे:–

जनपद का नाम	चयनित क्रय / संग्रह केन्द्र	उपार्जन संस्था का नाम
1	2	3
अल्मोड़ा	गरुड़ाबाज,द्वाराहाट,शीतलाखेत, लमगड़ा,जौरासी।	फ्रूट फैडरेशन, हल्द्वानी।
बागेश्वर	शामा,कपकोट,कांडा,गरुड़,बागेश्वर, कौसानी।	फ्रूट फैडरेशन, हल्द्वानी।
पिथौरागढ़	मुनाकोट,कनालीछीना,गंगोलीहाट, बाराकोट,क्षेत्रीसाम।	कुमांयू मण्डल विकास निगम, नैनीताल।

1	2	3
रूद्रप्रयाग	गुप्तकाशी,ऊखीमठ,अगस्तमुनि,मयाली, रूद्रप्रयाग।	गढ़वाल मण्डल विकास निगम,देहरादून।
चमोली।	मण्डल,पीपलकोटी,सिरोली,घाट,पोखरी, विपालखाल,रडुवा,चांदनीखाल, नंदप्रयाग,गैरसैण,कर्णप्रयाग,गौटी आदिबद्री,थराली,देवालल्वाणी,ल्वाणी।	गढ़वाल मण्डल विकास निगम,देहरादून।

5— क्रय किये जाने वाले सी ग्रेड माल्टा का न्यूनतम आकार 40एम0एम0 से 50एम0एम0 तक व्यास का होना चाहिये, तथा फलों का रंग संतरे जैसा गहरा नारंगी हो एवं फल सड़ा,गला,कटा—फटा नहीं होना चाहिये साथ ही डंठल साफ कटी हो।

6 – क्रयित फल 60 किग्रा0 की गनी बैग में लिये जाने होंगे।

7— फलों के उपार्जन/क्रय की यह योजना केवल फल उत्पादकों के लिये लागू होगी, ठेकेदार व बिचौलिये इस योजना में आच्छादित नहीं होंगे, यह सुनिश्चित करना कार्यदायी संस्थाओं तथा सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

8— तुड़ाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप वजन में कमी आती है, अतः वजन में आने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए क्रय के समय तौल में दो प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।

9— फल उत्पादकों को भुगतान एकाउन्ट पेई चैक या बैंक एडवाइस के माध्यम से किया जायेगा।

10—निदेशक,उद्यान एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

11—तीनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित स्थानों पर अस्थाई रूप से क्रय/संग्रह केन्द्र की मूलभूत व्यवस्थायें एवं यथा—आवश्यकता कार्मिकों की तैनाती पूर्ण कर ली जायेगी।

12—इस कार्य में सहयोग हेतु सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी विभागीय तृतीय श्रेणी के कार्मिक जो निकटस्थ उद्यान सचल दल केन्द्र पर कार्यरत हों,को तैनात किया जायेगा।

13—उपार्जित माल्टा फलों को राज्य अथवा राज्य के बाहर स्थित प्रसंस्करण इकाईयों को निर्धारित दरों से कम कीमत पर विक्रय नहीं किया जायेगा। यह दरें एफ0ओ0आर0 होगी एवं प्रसंस्करण इकाईयों के अतिरिक्त इन फलों को मण्डियों में भी विक्रय किया जायेगा।

14—फलों के उपार्जन का कार्य दिनांक 20,दिसम्बर 2005 से 15,फरवरी 2006 तक किया जायेगा।

15—फलों के विक्रय से प्राप्त आय को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उद्यान विभाग के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

16—योजना के संचालन में राज्य सरकार को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार के कृषि मंत्रालय,कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वास्तविक क्रय मूल्य के 25प्रतिशत की सीमा तक 50प्रतिशत क्षति की प्रतिपूर्ति की जायेगी, शेष क्षति की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

17—कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों में माल्टा फलों की उपलब्धता को देखते हुए योजनान्तर्गत माल्टा क्रय हेतु यथा आवश्यकता आंकलित धनराशि की मांग प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की

जायेगी, तथा उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता निहित होने पर संगत अनुदान संख्या के अन्य मानक मदों में बचतों की उपलब्धता की स्थिति में पुनर्विनियोग के माध्यम से आवश्यक धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।

18–यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–4 के अशासकीय संख्या–147/वित्त अनुभाग–4/2005–06/दिनांक–17,दिसम्बर 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या–1397 /XVI/05/5(128)/2004/26(1)/2000/तददिनांक:

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार,उत्तरांचल ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा देहरादून।
2– प्रबन्ध निदेशक,गढ़वाल मण्डल विकास निगम,राजपुर रोड,देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक,कुमायू मण्डल विकास निगम,नैनीताल।
4– प्रबन्ध निदेशक, फ्रूट फैडरेशन हल्द्वानी।
5– जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/रूद्रप्रयाग/चमोली।
6– उप निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमांयू मण्डल नैनीताल।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक (सहकारिता) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
9– निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,सचिवालय परिसर,देहरादून।
10– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।